




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
20/019	136 L.R.A	रसूलपुरा	दण्डा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
नारायण लाल	बनाम	राज. सीआर	

वकील :- राजेश लोका **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
28/019	अभिजातक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 L.R.A के तहत उक्त न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सविस्तर व अवलोकन किया प्रकरण दर्ज एग्रेसर किया जावे तथा अप्रार्थीगण के जरिये अमानत तलब कर पत्रावली दिनांक 20/8/019 को पेश हो।	01/10
20/019	आज पीतासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वगत स्थिति में दिनांक... 28/8/019 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
28/019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसील दर के रिपोर्ट ली जावे। वास्तु रिपोर्ट पेश करती दिनांक 01/10/2019 को पेश हो।	
01/019	आज पीतासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वगत स्थिति में दिनांक... 30/10/019 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
30/019	आज पीतासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वगत स्थिति में दिनांक... 31/12/019 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	

08/22

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 14/11/22 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

14/12

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20/12/22 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

20/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपस्थित। तहसीलदार ईका के रिपोर्ट उपलब्ध। पुनः तहसीलदार ईका को पत्रावली वाले नवंबर रिपोर्ट दिनांक 20/12/22 को पेश हो।

20/23

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 15/12/23 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

15/23

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/1/23 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

12/23

पत्रावली MRC केमो के बाटु पूर्ववत स्थिति में आज पेश हुई। वकील पार्थी उपस्थित। वकील पार्थी ने प्रकरण के NOTE PRESS किया है। वकील पार्थी प्रकरण को आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण के कार्यवाही इसी स्तर पर डाफ की जाती है। पत्रावली फ्रेशल शुमार होकर साबिल स्वर हो।

Not done
12/12/23